| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अशोक कुमार बनाम राज. सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28/4/26 | पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित Tdr उच्चैन से जवाब प्राप्त की शा० निरस्त हुए पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 1/5/26 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>उच्चैन (भरतपुर) | |
| 1/5/26 | पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/5/26 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>उच्चैन (भरतपुर) | |
| 5/5/26 | पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० कि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर अभिलेख दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>उच्चैन (भरतपुर) | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

**ोठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)**

**ार्थना पत्र कमांकः– 28 / 2023**

1. अशोक कुमार
2. संतोष कुमार पुत्रान शान्तिप्रसाद उर्फ चंदूलाल जाति ब्राह्मण निवासी तेहरा ब्राह्मण तहसील रूपवास हाल उच्चैन जिला भरतपुर। ............प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील रूपवास हाल उच्चैन जिला भरतपुर। ..............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट प्रार्थी

**दिनांकः–05.05.2026**

**निर्णय**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 321 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा(पुराना), 401 रकवा 0.25है0(नया नम्बर) वाके ग्राम तेहरा ब्राह्मण तहसील उच्चैन में स्थित है तथा इससे लगा हुआ आराजी खसरा नम्बर 322 रकवा 2 बीघा 05 विस्वा (पुराना), 402 रकवा 0.36है0(नया नम्बर) गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम तेहरा ब्राह्मण में स्थित है। प्रार्थी आज भी अपने खसरा नम्बर 321 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा(पुराना), 401 रकवा 0.25है0(नया नम्बर) वाके ग्राम तेहरा ब्राह्मण पर सही काबिज है व अपने खातेदारी के 1 बीघा 11 विस्वा(0.25) पर ही काबिज है। किन्तु खसरा नम्बर 322(402) का रकवा पुराने राजस्व रिकार्ड में 1बीघा 08 विस्वा बाके ग्राम तेहरा ब्राह्मण है लेकिन राज्य सरकार द्वाा जो सैंटलमेंट कराया है उसमें राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त खसरा नम्बर 322 पुराना व 402 नया गैर मुमकिन रास्ता का रकवा गलती से अशुद्धिवश 2 बीघा 05 विस्वा(0.36) गलत अंकित हो गया जबकि पूर्व के पुराने राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बर 1 बीघा 08 विस्वा सही अंकित है। खसरा नम्बर 322(402) के रकवे में अशुद्धि की जानकारी प्रार्थीगण को माह अगस्त 2021 को हुई जब प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के खसरा नम्बर पर अतिक्रमी मानते हुये नायब तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही शुरू की इसकी जानकारी प्रार्थीगण को तहसील उच्चैन में जाकर हुयी। उक्त खसरा नम्बर में शुद्धि बाबत् प्रार्थी ने तत्कालीन तहसीलदार रूपवास से निवेदन किया तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहा वाद कारण अगस्त माह 2021 को जब नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही शुरू करने पर पैदा हुआ है।

उक्त प्रकरण दिनांक 29.09.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास में दर्ज किया गया। क्षेत्राधिकार होने के पश्चात उक्त प्रकरण इस न्यायालय में प्राप्त हुआ एवं दिनांक 11.07.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता श्री धनश्याम धनकर उपस्थित आये। अप्रार्थी तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया गया कि–

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

1. जमाबंदी सवंत् 2075–78 वाके ग्राम तेहरा ब्राह्मण में ख.नं. 402 रकवा 0.36है. किस्म गै.मु. रास्ता खाता सं. 3 में पगडंडियां एवं रास्ते की इन्द्राज में दर्ज रिकॉर्ड है।
2. जमाबंदी संवत् 2074–74 वाके ग्राम तेहरा ब्राह्मण में ख.नं. 402 रकवा 0.36है. किस्म गै.मु. रास्ता खाता सं. 1 में सिवायचक विला लगानी इन्द्राज दर्ज रिकार्ड है।
3. जमाबंदी सवंत् 2070–73 वाके ग्राम तेहरा ब्राह्मण में ख.नं. 322 रकवा 2.05 (बीघा–विस्वा) किस्म गै.मु. रास्ता खाता सं. 1 में पगडंडिया एवं रास्ते (चारागाह के लिए नहीं) इन्द्राज रिकॉर्ड है।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 402 रकवा 0.5है0 है जिसका साविक नम्बर 321 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा का था परन्तु दौराने सैटलमेंन्ट राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण की आराजी से लगते हुये नम्बर 402 रकवा 0.36है0 गैर मुमकिन रास्ता जिसका साविक नम्बर 322 रकवा 1 बीघा 08 विस्वा का था उसके नये सैटलमेंन्ट में 2 बीघा 05 विस्वा(0.36है0) दर्ज कर दिया है जबकि पुराने रिकार्ड में उक्त नम्बर 1 बीघा 08 विस्वा का था एव नायब तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुये उनके विरूद्ध 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई। जबकि प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी पर पूर्व रिकार्ड के अनुसार काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। दौराने सैटलमेंन्ट राजस्व रिकार्ड में हुयी अशुद्धि को शुद्ध किया जाकर खसरा नम्बर सैटलमेन्ट पूर्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी का रकवा बराबरी किये जाने का निवेदन किया

मेरे द्वारा योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2070–73, नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 321 एवं 322 वाके ग्राम तेहरा ब्राह्मण एवं रियासत कालीन जमाबंदी तहसील रूपवास मौजा तेहराब्राह्मण के खसरा नम्बर 321 एवं 322 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है उसकी आराजी खसरा नम्बर 401 रकवा 0.25है0 पूर्व राजस्व रिकार्ड के मुताबिक सही अंकित है। प्रार्थी खसरा नम्बर 402 रकवा 0.36है0 में शुद्धि करवाना चाहता है जोकि राजस्थान सरकार की मिल्कियत में है एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार उच्चैन के द्वारा अपने जबाव में स्पष्ट अंकिन किया है कि दौराने सैटलमेंन्ट खसरा नम्बर 322 पुराना(402नया) में कोई त्रुटि नहीं हुयी है। चुकिं खसरा नम्बर 402 राज0सरकार की मिल्कियत में दर्ज है उक्त खसरा नम्बर के संबंध में वाद लाने का कोई भी अधिकार प्रार्थी को नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

**अतः आदेश हैः–**

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन,भरतपुर

**उपखण्ड अधिकारी**
**उच्चैन (भरतपुर)**